भारतीय विधि संस्थान

वार्षिक वित्तीय विवरणी
वित्तीय वर्ष 2018-19

ठाकुर, वैद्यनाथ अय्यर एंड कं.
चार्टर्ड अकाउंटेंटस
गांधी पीस फाउंडेशन केम्पस
221-223, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग
नई दिल्ली-110002

ठाकुर, वैद्यनाथ अय्यर एवं कं.
सनद लेखाकार,
नई दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता, चेन्नई
पटना और चंडीगढ़

221-223, दीन दयाल मार्ग, नई दिल्ली.11001
दूरभाष : 91-11-23236958-60, 23237772
फैक्स : 91-11-23230831
ई मेल : tvande@rediffmail.com
: tvandeca@gmial.com

अंकेक्षक का स्वतंत्र प्रतिवेदन

शासी परिषद,
भारतीय विधि संस्थान,
भगवान दास रोड,
नई दिल्ली - 110001

हमने भारतीय विधि संस्थान की सलंग्न वित्तीय विवरणों का अंकेक्षण किया है, जिसमें 31 मार्च, 2019 तक का तुलन-पत्र और समाप्ति वर्ष की आय और व्यय विवरणी तथा वित्तीय विवरणियों पर टिप्पण सहित महत्वपूर्ण लेखा संबधी नीतियां और अन्य स्पष्टीकारक जानकारी समाविष्ट है ।

हमारी राय और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, संस्थान का सलंग्न वित्तीय विवरण लेखा-संबंधी नीति और लेखाओं पर टिप्पणों के साथ पठित लागू विधियों के अनुसार अपेक्षित रीति में तथा भारत में साधारणतया स्वीकृत अन्य लेखा-संबंधी सिद्धांतों के अनुरूप सही और उचित दृश्यावलोकन के लिए तैयार किया गया है ।

राय का आधार

हमने लेखा परीक्षण के मानकों के अनुरूप अंकेक्षण किया है । उन मानकों के अधीन हमारा अतिरिक्त उत्तरदायित्व हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरण में अंकेक्षण के लिए अंकेक्षक का उत्तरदायित्व वाले भाग में वर्णित किया गया है । हम भारत के सनद लेखाकार संस्थान द्वारा जारी की गई नीति-संहिता के साथ-साथ उन नीति संबधी अपेक्षाओं के अनुसार संगठन से स्वतंत्र हैं जो अधिनियम के उपबंधों के अधीन वित्तीय विवरण के अंकेक्षण के लिए सुसंगत हैं और हमने इन अपेक्षाओं और नीति-संहिता के अनुसार अपने अन्य नीति-संबंधी उत्तरदायित्वों को पूरा किया है । हमे विश्वास है कि जो अंकेक्षण साक्ष्य हमने प्राप्त किया है वह हमारी राय के लिए एक आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और समुचित है ।

मामले का जोर देने वाला पहलू

हम जीएसटी का संदाय करने के लिए जीएसटी जिस तारीख से लागू हुआ और संस्थान ने स्वयं को पंजीकृत कराया, संस्थान के उस अवधि के लिए दायित्व के संबंध मे अनुसूची-22 के लेखाओं पर टिप्पण के टिप्पण सं. 5, महत्वपूर्ण लेखा संबंधी नीति और लेखाओं पर टिप्पण की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं ।

वित्तीय विवरण के प्रति प्रबंधन का उत्तरदायित्व

संस्थान का प्रबंधन इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए लागू विधियों के अनुसार और ऐसे आंतरिक नियंत्रण, जो प्रबंधन ऐसा वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए समर्थ बनाने हेतु आवश्यक होना अवधारित करता है और जो तात्विक गलत-विवरण से मुक्त है, चाहे यह कपट या त्रुटि के कारण हो और वित्तीय स्थिति, वित्तीय

निष्पादन भारत मे साधारणतया स्वीकृत लेखा संबंधी सिद्धांतों, जिसमें लेखा संबंधी मानक भी हैं, के अनुसार सही और उचित दृष्टिकोण देता हो, के लिए उत्तरदायी है । वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए, प्रबंधन एक चालू समुत्थान के रूप में जारी रहने के लिए सत्ता के सामर्थ्य का अवधारण करने, चालू समुत्थान से संबंधित उन विषयों को प्रकट करने, जो लागू हों, और चालू समुत्थान द्वारा तब तक लेखा के आधार का प्रयोग करने के लिए उत्तरदायी है, जब तक प्रबंधन का या तो सत्ता का परिसमापन करने का या प्रचालन बंद करने का आशय न हो या ऐसा करने का वास्तविक अनुकल्प न हो । जिन पर शासन का प्रभार है, उनका सत्ता की वित्तीय रिपोर्ट प्रस्तुत करने की प्रक्रिया का निरीक्षण करने का उत्तरदायित्व है ।

वित्तीय विवरणों के अंकक्षण के लिए अंकेक्षक के उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य इस बारे मे युक्तियुक्त आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या वित्तीय विवरण समग्र रूप में तात्विक गलत विवरण से मुक्त है या नहीं चाहे यह कपट या गलती के कारण हो और अंकेक्षक की एक ऐसी रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारी राय सम्मिलित हो । युक्तियुक्त आश्वासन एक उच्च कोटि का आश्वासन है, किंतु यह एक ऐसी गांरटी नही है कि नीति-मानकों के अनुसार किए गए अंकेक्षण से सदैव तात्विक गलत विवरण का पता लग जाएगा जब यह विद्यमान हो । गलत विवरण कपट या गलती से उद्‌भूत हो सकता है और इसे तब तात्विक समझा जाता है यदि व्यक्तिगत तौर पर या कुल मिलाकर उनसे युक्तियुक्त रूप से प्रयोक्ता के इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए आर्थिक विनिश्चयों को प्रभावित करने की प्रत्याशा की जा सके ।

नीति-मानकों के अनुसार अंकेक्षण के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय का प्रयोग करते हैं और संपूर्ण अंकेक्षण के दौरान पेशेवर संदेह बना रहता है । हमने-

वित्तीय विवरणों में तात्विक गलत-विवरण, चाहे यह कपट से हो या गलती से हो, के जोखिमों की पहचान की और निर्धारण किया, उन अंकेक्षण प्रक्रियाओं की रूपरेखा बनाई और निष्पादन किया जो उन जोखिमों के लिए उत्तरदायी हैं और अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त किए जो हमारी राय का आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और समुचित हैं । कपट के परिणामस्परूप कारित तात्विक गलत-विवरण का पता न लगा पाने का जोखिम गलती के परिणामस्वरूप होने वाले जोखिम से उच्चतर होता है क्योंकि कपट में सांठ-गांठ, जालसाजी, जानबूझकर लोप, मिथ्या-निरूपण या आंतरिक नियंत्रण अभिभावी होना अंतवर्लित हो सकता है ।

अंकक्षेण के सुसंगत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ उन अंकेक्षण प्रक्रियाओं की रूपरेखा बनाने के लिए जो परिस्थितियों में समुचित हों अपितु न कि सत्ता के आंतरिक नियंत्रण की प्रभावकारिता पर राय अभिव्यक्त करने के प्रयोजन के लिए प्राप्त की ।

प्रयुक्त की गई लेखा-संबंधी नीतियों की समुचितता और लेखा-संबंधी आकलनों की युक्तियुक्तता तथा प्रबंधन द्वारा किए गए संबंधित प्रकटनों का मूल्यांकन किया ।

प्रबंधन के चालू समुत्थान के लिए प्रयुक्त किए गए लेखा-संबंधी आधार की समुचितता के आधार पर निष्कर्ष निकाला और प्राप्त किए गए अंकेक्षण साक्ष्य के आधार पर क्या घटनाओं या शर्तों से संबंधित कोई ऐसी तात्विक अनिश्चितता विद्यमान है जो सत्ता के सामर्थ्य पर चालू समुत्थान के रूप में जारी रहने के लिए महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है ।

हमने अभिशासन का प्रभार रखने वालों के साथ, अन्य बातों के साथ-साथ, अंकेक्षण की योजनाबद्ध व्याप्ति और समय के संबंध में और महत्वपूर्ण अंकेक्षण निष्कर्षों को, जिनमें ऐसी कोई आंतरिक कमियां भी हैं जिसकी हमारे अंकक्षेण के दौरान पहचान की गई, संप्रेषित भी किया ॥

अन्य कानूनी एवं नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

क. हमने ऐसी सभी जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त किए जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार हमारे अंकेक्षण के लिए आवश्यक थे ।

ख. हमारी राय में, संस्थान द्वारा सुसंगत विधि द्वारा अपेक्षित अनुसार उचित बहियां रखी गई हैं, जंहा तक कि हमारे द्वारा की गई इन बहियों, जिसमें हमारे द्वारा दौरा न किए गए आंचलिक कार्यालयों से प्राप्त विवरणियां/रिपोर्टें भी है, परीक्षा से प्रतीत होता है ।

ग. इस रिपोर्ट में विचार किया गया तुलन-पत्र और आय-व्यय की विवरणी हमारे द्वारा दौरा न किए गए आंचलिक कार्यालयों से प्राप्त लेखा बहियों और विवरणियों से मेल खाते हैं ।

घ. हमारी राय में, पूर्वोक्त वित्तीय विवरण लेखा-संबंधी मानकों के अनुरूप हैं ।

द्वारा ठाकुर, वैद्यनाथ अय्यर एंड कं.
सनद लेखाकार
एफआरएन : 000038एन

हस्ता/-
(अनिल के. ठाकुर)
भागीदार
एम. नं. : 088722
यूडीआईएन -19088722AAAAAE 1637

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 24 सितम्बर, 2019

भारतीय विधि संस्थान

तुलन पत्र 31 मार्च 2019

	अनुसूची	31.03.2019 तक (Rs.)	31.03.2018 तक (Rs.)
कोष के स्रोत			
पूंजी परिसंपत्ति फंड	1	18,70,826	23,78,830
सामान्य निधि	2	12,51,94,323	11,83,88,943
यूजीसी से अनुदान योजना	3	3,47,66,837	4,39,45,515
विशिष्ट फंड	4	1,93,55,690	1,76,35,437
परियोजना निधि	5	5,86,084	5,79,500
वर्तमान देनदारियां	6	88,13,522	93,11,254
TOTAL		19,05,87,282	19,22,39,479
निधि के अनुप्रयोग			
अचल संपत्तियां	7		
सकल ब्लॉक		11,43,85,034	11,19,75,224
घटाया: संचित मूल्यह्रास		8,08,42,871	7,42,59,169
शुद्ध ब्लॉक		3,35,42,163	3,77,16,055
कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस		-	-
निवेश	8	12,12,11,308	12,98,95,852
मौजूदा परिसंपत्तियों , जमा और अग्रिम	9	3,58,33,811	2,46,27,572
TOTAL		19,05,87,282	19,22,39,479

खातों के लिए महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और नोट्स 22

अनुसूची नंबर 1 के लिए 22 रूपों खातों का अभिन्न अंग

संलग्न तारीख के बारे में हमारी रिपोर्ट के अनुसार
ठाकुर, वैद्यनाथ अय्यर और कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
FRN: 000038N

खातों के लिए महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और नोट्स

अनुसूची नंबर 1 के लिए 22 रूपों खातों का अभिन्न अंग

संलग्न तारीख के बारे में हमारी रिपोर्ट के अनुसार
ठाकुर, वैद्यनाथ अय्यर और कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
FRN: 000038N

Place: New Delhi
Date:

भारतीय विधि संस्थान

भगवान दास मार्ग, नई दिल्ली - 110 001

आय और व्यय खाता 31 मार्च 2019 को समाप्त

	अनुसूची	31.03.2019 तक (Rs.)	31.03.2018 तक (Rs.)
आय			
सहायता अनुदान	10	4,00,00,000	1,91,50,000
किराया	11	1,43,18,089	1,47,87,057
फीस	12	1,87,56,661	1,74,35,829
परियोजना अनुदान	13	24,60,991	15,69,368
ब्याज	14	73,76,518	75,51,657
पत्रिकाओं और अन्य प्रकाशनों की बिक्री	15	3,68,935	3,83,392
विविध आय	16	10,13,971	7,03,010
पुरानी देनदारियों लिखित बंद		-	17,97,783
आखरी बचा हुआ माल		14,68,409	13,48,942
कुल (1)		8,57,63,574	6,47,27,038
व्यय			
वेतन और भत्ते	17	5,97,40,152	5,93,22,236
प्रशासनिक व्यय	18	1,02,18,637	98,58,114
जर्नल और प्रकाशन व्यय	19	23,64,842	8,86,560
व्याख्यान, सेमिनार और पाठ्यक्रम व्यय	20	18,26,616	29,21,877
परियोजना व्यय	21	24,60,991	15,69,368
अचल संपत्ति पर मूल्यह्रास	7	9,98,014	9,81,928
आरंभिक स्टॉक		13,48,942	10,35,847
कुल (2)		7,89,58,194	7,65,75,930
वर्ष के लिए अधिशेष / घाटा जनरल फंड में स्थानांतरित(i - ii)		68,05,380	(1,18,48,892)

खातों के लिए महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और नोट्स 22

अनुसूची नंबर 1 के लिए 22 रूपों खातों का अभिन्न अंग

संलग्न तारीख के बारे में हमारी रिपोर्ट के अनुसार
ठाकुर, वैद्यनाथ अय्यर और कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
FRN: 000038N

हस्ता./-	हस्ता./-	हस्ता./-	हस्ता./-	हस्ता./-
अनिल के ठाकुर	प्रो मनोज कुमार सिन्हा	श्रीनिबास चन्द्र पृष्टी	डॉ ए के वर्मा	आशीष बावा
साथी, चार्टर्ड एकाउंटेंट	निदेशक	रजिस्ट्रार	डिप्टी रजिस्ट्रार	मुख्य लेखाकार

जगह: नई दिल्ली
तारीख: 23 अगस्त 2018

THE INDIAN LAW INSTITUTE

Bhagwandas Road, New Delhi

RECEIPT & PAYMENT ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2019

	(Rs.)	Year Ended 31.03.2018 (Rs.)	(Rs.)	Year Ended 31.03.2017 (Rs.)
RECEIPT				
Grant-in-aid from Ministry of Law & Justice		4,00,00,000		1,91,50,000
Grant from UGC		-		1,78,53,000
Rent		1,35,07,971		1,39,02,121
Fees		1,86,39,786		1,73,64,454
Interest		4,60,927		5,55,473
Sale of Journals and other publications		3,68,935		3,48,392
Miscellaneous Income		10,42,596		6,93,485
Specified Funds		55,000		10,000
Current Liabilities		22,08,849		32,11,469
Project Grants		17,79,211		17,89,598
Investments		2,05,88,503		3,49,73,229
Current Assets, Deposits and Advances		28,81,237		61,98,706
Opening Balances:				
Cash in hand	13,383		7,118	
Cash at Bank	1,00,22,977	1,00,36,360	2,06,38,324	2,06,45,442
TOTAL		11,15,69,375		13,66,95,369
PAYMENT				
Salaries & Allowances		4,40,10,432		4,63,59,997
Administrative Expenses		1,03,68,351		1,03,52,637
Journal and Publication Expenses		18,05,449		8,69,129
Lectures, Seminars and Course Expenses		13,56,079		23,09,055
Grant from UGC		37,28,946		24,67,994
Project Grants		13,96,507		19,23,429
Current Liabilities		1,76,81,597		1,73,45,980
Fixed Assets		24,09,810		82,44,600
Investments		30,00,000		2,55,00,000
Current Assets, Deposits and Advances		68,74,754		1,12,86,188
Closing Balances:				
Cash in hand	10,935		13,383	
Cash at Bank	1,89,26,515	1,89,37,450	1,00,22,977	1,00,36,360
TOTAL		11,15,69,375		13,66,95,369
		-		-

for Thakur, Vaidyanath Aiyar & Co.
Chartered Accountants
FRN: 000038N

Anil K. Thakur	Prof. (Dr.) Manoj Kumar Sinha	Shreenibas Chandra Prusty	Dr. A. K. Verma	Ashish Bawa
(Partner)	(Director)	(Registrar)	(Dy. Registrar)	(Chief Accountant)

Place: New Delhi
Date:

अनुसूची 1 **पूंजी संपत्ति फंड**	31.03.2019 (Rs.)	31.03.2018 (Rs.)
01.04.2018 की स्थिति के अनुसार शेष	23,78,830	29,68,539
कम: आस्तियों वर्ष के दौरान बंद लिखा	-	-
	23,78,830	29,68,539
कम: संचित मूल्यह्रास को हस्तांतरित	5,08,004	5,89,709
	18,70,826	**23,78,830**

अनुसूची - 2 **सामान्य निधि**	31.03.2019 (Rs.)	31.03.2018 (Rs.)
01.04.2018 की स्थिति के अनुसार शेष	11,83,88,943	13,02,37,835
जोड़ें : आय एवं व्यय खाते से राशि हस्तांतरित	68,05,380	(1,18,48,892)
	12,51,94,323	11,83,88,943

अनुसूची - 3 **यूजीसी से योजना अनुदान**		31.03.2019 (Rs.)		31.03.2018 (Rs.)
01.04.2017 पर शेष		4,39,45,515		3,26,15,107
जोड़ें : अनुदान वर्ष के दौरान प्राप्त		-		1,78,50,000
जोड़ें: अप्रयुक्त अनुदान पर ब्याज		-		3,25,000
कम: योजना व्यय साल के दौरान किए गए				
- अतिथि संकाय के लिए भुगतान	14,40,331		10,42,035	
- प्रकाशन के डिजिटलीकरण	47,200		84,042	
- संगोष्ठी व्यय और बैठक	1,00,000		3,76,842	
- ऑनलाइन पत्रिकाओं / डेटाबेस अंशदान	17,79,661			
- मरम्मत और रखरखाव का खर्च	7,33,802		10,32,113	
- कर्मचारी प्रशिक्षण व्यय	-	41,00,994	-	25,35,032
-अचल संपत्ति पर मूल्यह्रास (योजना)		50,77,684		43,09,560
		** 3,47,66,837		** 4,39,45,515

**

द्वारा प्रतिनिधित्व:		
अचल संपत्ति में शेष (नेट बुक वैल्यू)	*2,64,84,634*	*3,00,32,428*
अग्रिम (संदर्भ लें अनुसूची 10 - ई)	*84,17,152*	*44,14,397*
पूंजी कार्य-प्रगति	-	-
शेष राशि उपलब्ध एफडीआर में निवेश। (अतिरिक्त राशि खर्च)	*(1,34,949)*	*94,98,690*
	3,47,66,837	***4,39,45,515***

अनुसूची - 4 निर्दिष्ट फंड	As At 31.03.2018 (Rs.)	As At 31.03.2017 (Rs.)
आजीवन सदस्यता फंड		
01.04.2018 पर शेष	1,39,68,388	1,21,98,468
जोड़ें : ब्याज / लाभांश निधि के निवेश पर	10,22,343	9,13,670
जोड़ें : शुल्क वर्ष के दौरान प्राप्त	4,31,250	8,56,250
कम: वर्ष के दौरान लौटाई राशि	-	-
उप कुल (ए)	**1,54,21,981**	**1,39,68,388**
सुलखना देवी फंड		
शेष दिनांक 01.04.2018 तक	5,18,219	4,82,104
जोड़ें : ब्याज वर्ष के लिए फंड के निवेश पर	36,459	36,115
उप कुल (बी)	**5,54,678**	**5,18,219**
स्वर्ण पदक फंड		
01.04.2018 पर शेष	31,48,830	29,21,150
जोड़ें :वर्ष के दौरान प्राप्त	-	-
जोड़ें : ब्याज वर्ष के लिए फंड के निवेश पर	2,30,201	2,27,680
कम: स्वर्ण पदक व्यय वर्ष के दौरान	-	-
उप कुल (सी)	**33,79,031**	**31,48,830**
महायोग (ए + बी + सी)	**1,93,55,690**	**1,76,35,437**

अनुसूची - 5 परियोजना धन	31.03.2019 (Rs.)	31.03.2018 (Rs.)
परियोजना - केंद्रीय सूचना आयोग	-	5,79,500
परियोजना - सामाजिक न्याय मंत्रालय	75,000	-
परियोजना - विदेश मंत्रालय	5,11,084	-
	5,86,084	**5,79,500**

अनुसूची - 6 चालू दायित्व	As At 31.03.2019 (Rs.)	As At 31.03.2018 (Rs.)
देय व्यय	60,60,533	57,79,485
सुरक्षा जमा	14,97,186	14,12,186
बयाना जमा	1,21,500	75,500
अन्य देनदारियां	11,34,303	20,44,083
	88,13,522	**93,11,254**

अनुसूची - 7

अचल संपत्तियां

विवरण	दर	सकल ब्लॉक						मूल्यह्रास						NET BLOCK			
		01.04.2018 की स्थिति के अनुसार		वर्ष के दौरान इसके अलावा		31.03.2019 पर कुल		31.03.2018 तक		वर्ष के दौरान		31.03.2019 पर कुल		As on 31.03.2019		As on 31.03.2018	
		यूजीसी योजना अनुदान (Rs.)	अन्य अनुदान / स्वयं के धन (Rs.)	यूजीसी योजना अनुदान (Rs.)	Other Grants/ Own Funds (Rs.)	अन्य अनुदान / स्वयं के धन	अन्य अनुदान / स्वयं के धन (Rs.)	यूजीसी योजना अनुदान (Rs.)	अन्य अनुदान / स्वयं के धन (Rs.)	यूजीसी योजना अनुदान (Rs.)	अन्य अनुदान / स्वयं के धन	यूजीसी योजना अनुदान (Rs.)	अन्य अनुदान / स्वयं के धन (Rs.)	यूजीसी योजना अनुदान (Rs.)	अन्य अनुदान / स्वयं के धन	यूजीसी योजना अनुदान	अन्य अनुदान / स्वयं के धन (Rs.)
पट्टाधृत भूमि		-	57,894			-	57,894	-	-			-	-	-	57,894	-	57,894
इमारत	10%	1,80,10,836	55,13,771			1,80,10,836	55,13,771	32,61,866	24,07,476	14,74,897	3,10,630	47,36,763	27,18,106	1,32,74,073	27,95,665	1,47,48,970	31,06,295
पहुँच-मार्ग	10%	-	5,000			-	5,000	-	2,848	-	215	-	3,063	-	1,937	-	2,152
विद्युत उपकरण	15%	90,62,783	25,00,984	46,100		91,08,883	25,00,984	45,23,343	14,87,541	6,87,832	1,52,017	52,11,175	16,39,558	38,97,708	8,61,426	45,39,440	10,13,443
फर्नीचर और जुड़नार	10%	79,05,211	12,01,464	9,92,459		88,97,670	12,01,464	31,83,673	6,91,935	5,58,989	50,954	37,42,662	7,42,889	51,55,008	4,58,575	47,21,538	5,09,529
कार्यालय उपकरण	15%	5,59,264	14,87,158			5,59,264	14,87,158	4,00,832	11,00,803	23,765	57,952	4,24,597	11,58,755	1,34,667	3,28,403	1,58,432	3,86,355
लाइब्रेरी में किताबें	40%	1,67,01,039	2,60,69,084	4,14,920	8,79,920	1,71,15,959	2,69,49,004	1,39,76,209	2,46,05,369	12,38,454	7,69,046	1,52,14,663	2,53,74,415	19,01,296	15,74,589	27,24,830	14,63,715
कंप्यूटर्स	40%	90,31,127	74,33,270	28,880		90,60,007	74,33,270	65,75,061	74,17,605	9,88,202	6,266	75,63,263	74,23,871	14,96,744	9,399	24,56,066	15,665
लाइब्रेरी उपकरण	15%	24,70,897	24,75,678	47,531		25,18,428	24,75,678	17,97,603	17,93,343	1,04,559	1,02,350	19,02,162	18,95,693	6,16,266	5,79,985	6,73,294	6,82,335
खेल उपकरण	10%	-	28,519			-	28,519	-	16,243	-	1,228	-	17,471	-	11,048	-	12,276
स्टाफ कार	15%	-	5,15,000			-	5,15,000	-	3,74,668	-	21,050	-	3,95,718	-	1,19,282	-	1,40,332
उप कुल (ए)		**6,37,41,157**	**4,72,87,822**	**15,29,890**	**8,79,920**	**6,52,71,047**	**4,81,67,742**	**3,37,18,587**	**3,98,97,831**	**50,76,698**	**14,71,708**	**3,87,95,285**	**4,13,69,539**	**2,64,75,762**	**67,98,203**	**3,00,22,570**	**73,89,991**
निदेशक के आवास पर अचल परिसंपत्तियां																	
विद्युत उपकरण	15%	-	3,29,890	-	-	-	3,29,890	-	2,39,995		13,485	-	2,53,480	-	76,410	-	89,895
फर्नीचर और जुड़नार	10%	22,899	4,53,580	-	-	22,899	4,53,580	13,041	2,58,329	986	19,525	14,027	2,77,854	8,872	1,75,726	9,858	1,95,251
कार्यालय उपकरण	15%	-	30,765	-	-	-	30,765	-	22,382		1,257	-	23,639	-	7,126	-	8,383
कंप्यूटर्स	60%	-	1,09,111	-	-	-	1,09,111	-	1,09,004		43	-	1,09,047	-	64	-	107
उप कुल (बी)		**22,899**	**9,23,346**	**-**	**-**	**22,899**	**9,23,346**	**13,041**	**6,29,710**	**986**	**34,310**	**14,027**	**6,64,020**	**8,872**	**2,59,326**	**9,858**	**2,93,636**
कुल लागत (ए + बी)		**6,37,64,056**	**4,82,11,168**	**15,29,890**	**8,79,920**	**6,52,93,946**	**4,90,91,088**	**3,37,31,628**	**4,05,27,541**	**50,77,684**	**15,06,018**	**3,88,09,312**	**4,20,33,559**	**2,64,84,634**	**70,57,529**	**3,00,32,428**	**76,83,627**

अनुसूची - 8
निवेश

फंड के नाम	अनुसूचित बैंकों के साथ				यूटीआई के साथ	कुल	
	केनरा बैंक (Rs.)	यूको बैंक (Rs.)	बैंक ऑफ़ बडौदा (Rs.)	कुल (Rs.)	(Rs.)	31.03.2019 (Rs.)	31.03.2018 (Rs.)
(क) जनरल फंड							
फिक्स्ड डिपॉजिट में	-	7,99,39,351	2,06,18,976	10,05,58,327	-	10,05,58,327	11,10,84,322
		-	-	-	-	-	-
(ख) निर्दिष्ट फंड							
आजीवन सदस्यता फंड	-	1,61,94,066	-	1,61,94,066	3,00,300	1,64,94,366	1,49,13,041
सुलखना देवी फंड	1,10,449	4,53,390	-	5,63,839	-	5,63,839	5,28,181
स्वर्ण पदक फंड	-	35,94,776	-	35,94,776	-	35,94,776	33,70,308
TOTAL	**1,10,449**	**10,01,81,583**		**12,09,11,008**	**3,00,300**	**12,12,11,308**	**12,98,95,852**

अनुसूची - 9 **मौजूदा परिसंपत्तियों , जमा और अग्रिम**		**As At** **31.03.2019** **(Rs.)**		**As At** **31.03.2018** **(Rs.)**
(ए) नकदी और बैंक बैलेंस				
रोकड़		6,493		8,235
डाक अग्रदाय		4,442		5,148
बैंक खातों की शेष:				
यूको बैंक खाता संख्या 9792		5,14,725		2,90,931
यूको बैंक खाता संख्या 257036		1,80,71,484		90,06,836
बैंक बड़ौदा खाता संख्या 13830100006557		3,27,860		7,21,728
केनरा बैंक खाता सं2417101021884		1,000		-
यूको बैंक खाता संख्या 88227		11,445		3,482
		1,89,37,449		**1,00,36,360**
बी) प्रकाशन के समापन स्टॉक		**14,68,409**		**13,48,942**
सी) निवेश पर अर्जित ब्याज				
सामान्य निधि		23,26,491		29,73,407
सुलखना देवी फंड		13,322		12,521
आजीवन सदस्यता फंड		5,39,077		5,98,059
स्वर्ण पदक फंड		64,845		59,112
		29,43,735		**36,43,099**
(डी) प्राप्य राशि				
विधि एवं न्याय मंत्रालय		17,05,603		17,18,748
परियोजना अनुदान प्राप्य		4,99,651		5,57,266
टीडीएस वसूली		11,85,067		11,82,692
कर्मचारियों से विद्युत शुल्क		687		-
Canteen Contractor		22,671		-
रॉयल्टी प्राप्य		-		8,831
		34,13,679		**34,67,537**
(ई) जमा और अग्रिम				
सीपीडब्ल्यूडी को अग्रिम				
योजना फंड	84,17,152		44,14,397	
गैर-योजना फंड	31,919	84,49,071	31,919	44,46,316
कर्मचारियों को अग्रिम		1,500		16,500
दूसरों को अग्रिम				
योजना फंड	-		-	
गैर-योजना फंड	3,500	3,500	3,500	3,500
जमा		60,670		60,670
पूर्वदत व्यय		5,55,798		16,04,648
		90,70,539		**61,31,634**
भव्य कुल (ए + बी + सी + डी + ई)		**3,58,33,811**		**2,46,27,572**

		वर्ष के अंत 31.03.2019	वर्ष के अंत 31.03.2018
अनुसूची - 10			
सहायक अनुदान			
क्र.सं.		**(Rs.)**	**(Rs.)**
1	अनुदान सहायता विधि एवं न्याय मंत्रालय से प्राप्त	4,00,00,000	1,91,50,000
		4,00,00,000	1,91,50,000

अनुसूची - 11			
किराये की आय			
क्र.सं.		**(Rs.)**	**(Rs.)**
1	आधिकारिक भाषा विंग - कानून एवं न्याय मंत्रालय	51,19,320	51,19,320
2	केन्द्रीय एजेंसी - कानून एवं न्याय मंत्रालय	77,52,192	77,52,192
3	कैंटीन	1,31,102	60,720
4	एनेक्सी और बैठक कमरे	13,15,475	18,54,825
		1,43,18,089	1,47,87,057

अनुसूची - 12			
फीस और सदस्यता			
क्र.सं.		**(Rs.)**	**(Rs.)**
1	पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रम	82,80,580	84,40,080
2	एलएलएम कोर्स	32,93,300	26,19,025
3	पीएच.डी. कोर्स	4,37,500	3,46,000
4	प्रवेश प्रक्रिया शुल्क (डिप्लोमा / एलएलएम / पीपीएच।)	36,00,000	23,73,000
5	ऑनलाइन आईपीआर कोर्स	11,13,400	15,20,150
6	ऑनलाइन साइबर लॉ कोर्स	14,15,200	17,72,200
7	लाइब्रेरी फीस	1,10,346	1,21,374
8	भर्ती आवेदन शुल्क	1,79,460	2,000
9	सदस्यता शुल्क - साधारण सदस्य	3,26,875	2,42,000
		1,87,56,661	1,74,35,829

अनुसूची - 13			
परियोजना आय			
क्र.सं.		**(Rs.)**	**(Rs.)**
1	परियोजना - विदेश मंत्रालय	11,13,127	8,54,253
2	प्रशिक्षण कार्यक्रम DCPCR	92,385	1,05,845
3	ट्रेनिंग प्रोग्राम एनएचआरसी	5,95,979	5,99,083
4	प्रोजेक्ट - वक्फ बोर्ड	80,000	-
5	प्रोजेक्ट - CIC	5,79,500	-
6	परियोजना - पंचायत राज मंत्रालय	-	10,187
		24,60,991	15,69,368

		वर्ष के अंत 31.03.2019	वर्ष के अंत 31.03.2018
अनुसूची - 14 **प्राप्त ब्याज**			
क्र.सं.		**(Rs.)**	**(Rs.)**
1	जनरल फंड निवेश पर ब्याज	69,15,572	69,96,184
2	बचत बैंक खातों पर ब्याज	4,60,946	5,55,473
		73,76,518	75,51,657

अनुसूची - 15 **जर्नल और अन्य प्रकाशन की बिक्री**			
क्र.सं.		**(Rs.)**	**(Rs.)**
1	वार्षिक सर्वेक्षण	1,43,950	1,08,300
2	जर्नल आय	1,48,240	1,28,980
3	प्रकाशन आय	76,285	1,45,462
4	न्यूज़लेटर आय	460	650
		3,68,935	3,83,392

अनुसूची - 16 **विविध आय**			
क्र.सं.		**(Rs.)**	**(Rs.)**
1	फोटोस्टेट / कंप्यूटर प्रिंटिंग प्रभार	1,42,759	2,06,413
2	रॉयल्टी	7,794	23,026
3	परियोजना प्रशासन प्रभार	6,97,786	3,28,181
4	डिप्लोमा प्रमाणपत्र प्रभार	15,800	1,09,400
5	सदस्यता पहचान पत्र कार्ड शुल्क	5,200	6,200
6	पुरानी परियोजनाओं से आय	36,000	-
7	अन्य	1,08,632	29,790
		10,13,971	7,03,010

		वर्ष के अंत 31.03.2019	वर्ष के अंत 31.03.2018
अनुसूची - 17			
वेतन और भत्ते			
क्र.सं.		**(Rs.)**	**(Rs.)**
1	वेतन और भत्ते	4,47,21,869	5,00,49,411
2	भविष्य निधि में अंशदान	43,27,104	44,58,875
3	ग्रेच्युटी व्यय एलआईसी के लिए भुगतान	46,37,212	29,733
4	एलआईसी के लिए भुगतान किया नकदीकरण व्यय	26,70,513	16,63,705
5	एलटीसी के साथ नकदीकरण	1,92,692	1,27,835
6	बोनस	-	-
7	डीए बकाया	3,16,258	3,02,986
8	एलटीसी / एचटीसी व्यय	10,26,665	9,93,811
9	ग्रुप मेडिक्लेम प्रीमियम	6,48,839	6,48,080
10	चिकित्सा के खर्चे	-	1,900
11	स्टाफ को मानदेय	60,500	14,350
12	बाल शिक्षा भत्ता	11,38,500	10,31,550
		5,97,40,152	5,93,22,236

अनुसूची - 18			
प्रशासनिक व्यय			
क्र.सं.		**(Rs.)**	**(Rs.)**
1	यात्रा और वहन	4,57,490	2,82,663
2	सुरक्षा सुविधाएँ	23,23,015	23,24,930
3	हाउसकीपिंग और आउटसोर्सिंग व्यय	22,76,227	21,26,518
4	बिजली और जल	17,45,775	23,05,488
5	टेलीफोन और फैक्स	1,11,529	1,18,206
6	फोटोस्टेट , मुद्रण और स्टेशनरी	5,75,194	6,03,459
7	डाक और स्टाम्प	2,81,949	2,97,959
8	बीमा	84,518	14,192
9	जलपान	1,61,384	84,563
10	सांविधिक लेखा परीक्षक के पारिश्रमिक	60,000	59,000
11	आंतरिक लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक	2,00,000	2,39,000
12	कानूनी और व्यावसायिक खर्च	37,700	25,400
13	सदस्यता शुल्क	85,580	31,050
14	मरम्मत एवं रखरखाव	7,60,454	5,33,264
15	स्टाफ के लिए वर्दी	60,000	74,087
16	स्टाफ कार व्यय	52,796	58,507
17	अखबार प्रतिपूर्ति व्यय	1,73,050	52,104
18	टेलीफोन प्रतिपूर्ति व्यय	1,61,393	1,58,596
19	भर्ती व्यय	2,07,989	-
20	कर्मचारी प्रशिक्षण व्यय	2,27,362	69,318
21	लाइब्रेरी बुक बंधन प्रभार	29,322	31,830
22	विज्ञापन व्यय	-	12,312
23	ILI राज्य इकाइयों को वित्तीय सहायता	-	1,00,000
24	विविध	1,45,910	2,55,668
		1,02,18,637	**98,58,114**

		वर्ष के अंत 31.03.2019	वर्ष के अंत 31.03.2018
अनुसूची - 19			
जर्नल / प्रकाशन व्यय			
क्र.सं.		**(Rs.)**	**(Rs.)**
1	पत्रिका खर्च	6,43,957	3,84,204
2	प्रकाशन / वार्षिक सर्वेक्षण / डिजिटलीकरण व्यय	6,80,693	2,10,362
3	न्यूज़लेटर व्यय	2,83,599	2,91,994
4	ऑनलाइन पत्रिकाओं / डेटाबेस की सदस्यता	7,56,593	-
		23,64,842	8,86,560

अनुसूची - 20			
व्याख्यान , सेमिनार और पाठ्यक्रम व्यय			
क्र.सं.		**(Rs.)**	**(Rs.)**
1	डिप्लोमा कोर्स व्यय	1,84,300	3,05,027
2	पीएच.डी. व्यय	61,715	11,000
3	एलएलएम कोर्स व्यय	1,28,296	2,31,351
4	ऑनलाइन आईपीआर कोर्स	88,226	2,02,116
5	ऑनलाइन साइबर लॉ कोर्स	1,10,725	2,77,117
6	दीक्षांत व्यय	-	12,91,698
7	संगोष्ठी व्यय और बैठक	6,32,209	2,03,115
8	ग्रीष्मकालीन कोर्स और सम्मेलन	4,71,145	4,00,453
9	छात्रवृत्ति	1,50,000	-
		18,26,616	29,21,877

अनुसूची - 21			
परियोजना व्यय			
क्र.सं.		**(Rs.)**	**(Rs.)**
1	परियोजना - विदेश मंत्रालय	11,13,127	8,54,253
2	प्रशिक्षण कार्यक्रम DCPCR	92,385	1,05,845
3	ट्रेनिंग प्रोग्राम एनएचआरसी	5,95,979	5,99,083
4	प्रोजेक्ट - वक्फ बोर्ड	80,000	-
5	प्रोजेक्ट - CIC	5,79,500	-
6	परियोजना - पंचायत राज मंत्रालय	-	10,187
		24,60,991	15,69,368

भारतीय विधि संस्थान

अनुसूची - 22

महत्वपूर्ण लेखा नीतियां और लेखा संबंधी टिप्पण

(क) लेखा नीतियां

1. (क) विनिर्दिष्ट परियोजनाओं के लिए अनुदानों से आय का परियोजनाओं के लिए उपगत खर्चों की सीमा तक गणना की जाती है । तथापि, अनुदान की खर्च से बची हुई राशि परियोजनाओं के पूरा होने पर आय के रूप में समायोजित की जाती है जब तक कि खर्च न की हुई राशि प्रत्यर्पणीय न हो जाए । अन्य अनुदान पावती के आधार पर आय के रूप में गणना किए जाते हैं ।

(ख) किसी परियोजना के संबंध में अधिक खर्च की गई राशि वसूली योग्य दर्शाई जाती है ।

(ग) शुल्क, एनेक्सी किराया और हालों से किराया नकद आधार पर गणना किया जाता है । तथापि, अग्रिम के तौर पर प्राप्त शुल्क भविष्य में समायोजित किए जाने के लिए आगे लिया जाता है।

(घ) वर्ष के दौरान पुस्तकालय के लिए क्रय किए गए जर्नल और इस दौरान प्राप्त किए गए साधारण सदस्यता अंशदान नकद आधार पर गणना में लिए जाते हैं ।

(ङ) संस्थान के आय और व्यय लेखा के अन्य मद संभूति के आधार पर गणना में लिए जाते हैं ।

(च) विनिर्दिष्ट निधियों से संबंधित निवेशों पर ब्याज क्रमिक निधियों में जमा की जाती है ।

(छ) उपदान और छुट्टी नकदीकरण नीतियां भारतीय जीवन बीमा निगम से ली गई हैं और वार्षिक अभिदाय सुसंगत वर्ष में खर्च के रूप में गणना में लिए जाते हैं ।

(ज) प्राप्त की गई आजीवन सदस्यता शुल्क और साधारण सदस्यता शुल्क और सदस्यता के प्रदान किए जाने के लिए लंबित हैं वह दायित्व समझते जाते हैं ।

2. (क) अवमूल्यन 31 मार्च, 2010 तक नियत आस्तियों पर उपबंध नहीं किया गया था और वर्ष के दौरान अभिप्राप्त नियत आस्तियों के खर्च पर समान राशि वर्ष के लिए अधिशेष में से समायोजित की गई थी और पूंजी आस्ति फंड में जमा की गई थी । तथापि, कार्यपालक समिति के विनिश्चय के अनुसार वार्षिक अवमूल्यन को आयकर अधिनियम 1961 में विहित दरों के अनुसार 31 मार्च, 2011 में वर्ष की समाप्ति पर संस्थान के नियत आस्तियों पर गणना किया गया था। जैसाकि विनिश्चय किया गया 31 मार्च, 2010 से पूर्व अभिप्राप्त नियत आस्तियों पर वार्षिक अवमूल्यन जो 2,30,74,958/- रुपए राशि थी को पूंजी आस्ति फंड में समायोजित किया जा रहा है और यही प्रक्रिया तब तक अनुसरण की जाएगी जब तक आस्तियों का पूर्ण रूप से अवमूल्यन न हो जाए और पूंजी आस्ति फंड निःशेष हो जाता है ।

(ख) एकल अवधि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुदान से अभिप्राप्त आस्तियां भी नियत आस्तियों के रूप में पूंजीकृत की गई हैं । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त योजना अनुदान से अभिप्राप्त नियत आस्तियां विश्वविद्यालय अनुदान से योजना अनुदान में समायोजित की गई हैं । (देखिए अनुसूची - 3)

3. पुस्तकालय पुस्तकों और पुस्तकालय में संदर्भ सामग्री के रूप में रखे जाने के लिए आशयित अन्य प्रकाशनों का मूल्य पूंजीकृत किए गए हैं ।

4. पुस्तकों और 01 अप्रैल, 2004 के पश्चात् प्रकाशित वार्षिक सर्वेक्षण का मूल्य और वर्ष के अंत में बचे अविक्रीत को प्रकाशनों के बंद स्टाक में सम्मिलित किया गया है ।

(ख) लेखाओं संबंधी टिप्पण

1. भारतीय विधि संस्थान आयकर आयुक्त नई दिल्ली के कार्यालय द्वारा जारी किए गए पत्र सं. जेई-3(34)/62/8250 तारीख 9 जुलाई, 1974 द्वारा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12क के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया गया है ।

2. संस्थान महानिदेशक आयकर (छूट) , वित्त मंत्रलाय, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश सं. फा. सं. डीजीआईटी(ई)/10(23सी)(ज्क्ष्)/2010-11/1579 तारीख 29 मार्च, 2011 द्वारा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10(23सी)(ध्द्)(ध्द्ध) के अधीन अनुमोदित है ।

   इसके अतिरिक्त संस्थान पत्र सं. फा. स. 203/75/2009/आइटीए- ख्र्ख् तारीख 28 जनवरी, 2010 के द्वारा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35(त्)(त्त्) के अधीन अधिसूचना सं. 5/2010 की मार्फत भी अनुमोदितहै ।

3. वर्ष 2001-2002 से 2018-2019 के लिए नई दिल्ली नगर निगम द्वारा संपत्ति कर के रूप में रु. 4,09,62,027/- के लिए मांग का संस्थान द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय में प्रतिवाद किया गया है जिसमें वर्ष 2018 19 के लिए रु. 23,13,750/- सम्मिलित है । आय और व्यय लेखा में इस निमित्त कोई प्रावधान नहीं किया गया है इसलिए इसके लिए एक आपातिक दायित्व है ।

4. संस्थान ने भारतीय जीवन बीमा निगम से छुट्टी नकदीकरण और समूह उपदान के लिए बीमा पॉलिसी ली है । क्रमिक फंडों के लिए किए गए अभिदाय और/या संदाय के लिए अवधारित राशि खर्च के रूप में गणना में ली गई हैं ।

5. संस्थान दिनांक 28 मई, 2019 को जीएसटी के अधीन पंजीकृत किया गया है चूंकि संस्थान की कई सेवाओं पर जीएसटी लागू है और तद्नुसार संस्थान ने जुलाई, 2019 से जीएसजी का संदाय करना आरंभ किया है । संस्थान इस मुद्दे की भी विवेचना कर रहा है कि क्या पिछली अवधि के लिए भी कोई दायित्व बनता है जब जुलाई, 2017 से जीएसटी अधिनियम पुरःस्थापित किया गया था ।

6. तारीख 31 मार्च, 2019 को 84,17,152/-रुपए की राशि (योजना फंड) और रु. 31,919/- (गैर योजना फंड) संस्थान द्वारा भवन के नवीनीकरण के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को अग्रिम के तौर पर दिया गया दर्शित किया गया है ।

7. पूर्व वर्ष के आंकड़े जहां कहीं आवश्यक हैं पुनः व्यवस्थित/पुनः समूहीकृत किए गए हैं ।

प्रो0 (डा) मनोज कुमार सिन्हा	श्रीनिबास चंद्र प्रुष्टा	डा. ए. के. वर्मा	आशिष बावा
निदेशक	रजिस्ट्रार	उप रजिस्ट्रार	मुख्य लेखाकार

स्थान - नई दिल्ली
तारीख - 24 सितम्बर, 2019